भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 361

04 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

विषय : किसानों को लाभ

361. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे :

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर :

श्री हेमन्त पाटिल :

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :

डॉ॰ सुजय विखे पाटील :

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए नई पहल, कार्यक्रम और योजना शुरू की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने हेतु कार्यान्वित योजनाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है तथा यदि हां, तो किसानों की आय को दुगना करने में कौन-सी बाधाएं आ रही हैं;

(ग) सरकार द्वारा कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) उक्त नई पहलों, स्कीमों, कार्यक्रमों और योजनाओं ने किसानों विशेषकर लघु और सीमांत किसानों के जीवन में किस हद तक सुधार किया है; और

(ङ) किसानों के कल्याण हेतु नई पहलों, स्कीमों, कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है तथा उक्त योजनाओं को प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) : कृषि राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रगति में सहायता करने और सुविधाप्रद बनाने में सहायता प्रदान करती है। योजनाओं की सूची **अनुबंध-I** पर दी गई है।

हाल ही में, सरकार ने दिनांक 24.2.2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना शुरू की है, ताकि देश भर के सभी छोटे एवं सीमांत भू-धारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान की जा सके जो कुछ अपवर्जनों के अध्यधीन है। यह योजना इन

किसानों को घरेलू जरूरतों के साथ-साथ उन्हें कृषि और संबद्ध गतिविधियों से जुड़े खर्चों को वहन करने में सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमिधारक किसान परिवारों को प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर 2000/- रुपए की समान किश्तों में प्रति वर्ष 6000/- रुपए का भुगतान किया जाता है जो उच्च आय वर्ग से संबंधित अपवर्जनों के अध्यधीन हैं। इस योजना के दायरे का अब विस्तार कर दिया गया है ताकि देश में सभी किसानों को उनकी भू-जोत के आकार को ध्यान में रखे बिना कवर किया जा सके।

इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में देश में सभी छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए एक पेंशन योजना को मंजूरी दी है जो कुछ अपवर्जनों के अध्यधीन है। यह योजना वृद्ध किसानों जिनके पास कम या कोई बचत नहीं होती है उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है और आजीविका का नुकसान होने पर उन्हें सहायता प्रदान करती है। यह योजना 60 वर्ष की आयु होने पर पात्र किसानों को प्रति माह 3,000/- रुपए की न्यूनतम निर्धारित पेंशन का भुगतान का प्रावधान करती है। यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु में प्रवेश करने पर एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। लाभार्थी पेंशन निधि की सदस्यता लेकर इस योजना का सदस्य बनने का विकल्प चुन सकता है। पेंशन निधि का प्रबंधन जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जाता है। उदाहरणत: लाभार्थी को 29 वर्ष की माध्यमिक आयु में प्रवेश करने पर पेंशन निधि में प्रति माह 100/- रुपए का अंशदान देना आवश्यक होता है। इसके साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा भी 100/- रुपए का समान अंशदान दिया जाता है।

(ख) से घ) : भारत सरकार नियमित रूप से सभी केंद्रीय प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करती है जो वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के प्रति योगदान करती हैं। कमियों को दूर करने के लिए योजनाओं के प्रभाव और समवर्ती मूल्यांकन किए जाते हैं। इस तरह के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, फसल कटाई पूर्व और बाद के प्रबंधन पर ध्यान देने, मूल्यवर्धन से जुड़ी परियोजना और नवाचार तथा कृषि-उद्यमिता विकास पर ध्यान देने के लिए आरकेवीवाई योजना को आरकेवीवाई-रफ्तार के रूप में संशोधित किया गया था।

नई पहलों, कार्यक्रमों और नियोजित योजनाओं ने किसानों विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के जीवन स्तर को सुधारने में योगदान दिया है।

(ङ.) : कृषि राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रगति का में सहायता करने और सुविधाप्रद बनाने में सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत, दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं को लागू करने वाली राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं।

लो.अता.प्र.सं. 361

अनुबंध - I

क्र.सं.	योजना का नाम
1.	किसानों को लघुवधि ऋण के लिए ब्याज सहायता
2.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-एनसीआईपी
3.	प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल
4.	मंडी हस्तक्षेप योजना/मूल्य समर्थन योजना का कार्यान्वयन
5.	प्रधानमंत्री अन्नदत्ता आय संरक्षण अभियान
6.	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
7.	आय समर्थन योजना-पीएम-किसान
8.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
9.	समेकित बागवानी विकास मिशन
10.	राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन
11.	राष्ट्रीय जैविक खेती संवर्धन परियोजना
12.	राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना
13.	एनईएस क्षेत्रों का जैविक मूल्य श्रृंखला विकास
14.	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (आरएडीपी एवं जलवायु परिवर्तन)
15.	परम्परागत कृषि विकास योजना
16.	राष्ट्रीय कृषि-वानिकी परियोजना
17.	राष्ट्रीय बांस मिशन
18.	कृषि विस्तार उप-मिशन
19.	राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कृषि-सूचना प्रौद्योगिकी
20.	बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन
21.	कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन
22.	फसल अवशेष का स्वस्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना
23.	पादप संरक्षण एवं पादप संगरोध उप-मिशन
24.	समेकित कृषि सहकारिता योजना
25.	समेकित कृषि विपणन योजना
26.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
27.	समेकित कृषि संगणना एवं सांख्यिकी योजना

****